मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2019

विभाग का नाम :	सहकारिता
मंत्री :	डॉ. गोविद सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव	श्री प्रभांशु कमल (आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव ::	श्री अजीत केसरी (आई.ए.एस.)
उप सचिव ::	श्रीमती पुष्पा कुलेश
उप सचिव ::	श्री मनोज सिन्हा
अवर सचिव ::	श्रीमती गायत्री पाराशर श्री आर0एम0मिश्रा

विभागाध्यक्ष

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश	डा0 एम0के0अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रस्तावना

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं हैं। प्रदेश में सहकारी आंदोलन ने अपनी अनेक चुनौतियों के बावजूद भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है । लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित सहकारी संस्थाओं का गठन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु किया गया हैं। समाज के आर्थिक विकास में एवं प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में सहकारिता क्षेत्र की महती भूमिका रही है और सहकारी संस्थायें अपनी भूमिका का निर्वहन सक्षमता के साथ कर रही हैं। सहकारी संस्थायें अपने से जुड़े समाज के कमजोर वर्गो एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान को केन्द्र में रखकर सामाजिक/आर्थिक समानता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रही है ।

इस योजना में ग्राम स्तर पर परम्परागत व्यवसाय, के साथ–साथ कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों में पारंगत व व्यवसायरत व्यक्तियों, युवाओं, महिलाओं की सहकारी समिति का गठन कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उनके उत्पादों की विपणन की व्यवस्था भी की जायेगी। सरकार की इस योजना से जहां ग्रामस्तर पर स्वरोजगार की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर आय के साधनों में वृद्धि होगी। इस योजना के साकार होने से रोजगार के अभाव में ग्रामीणों का पलायन भी रूक सकेगा साथ ही स्थानीय मानव श्रम का सदुपयोग हो सकेगा।

नये क्षेत्रों में प्रवेश के लिये सहकारिता में नवाचार को एक अभियान के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवाचार अंतर्गत प्रदेश में अनेक नवीन क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया गया है सहकारिता में अब तक 430 नवीन सहकारी समितियों का पंजीयन प्राथमिक एवं राज्य स्तर पर किया गया है।

विभाग की गतिविधियों में अल्पावधि फसल ऋण का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2018–19 के लिए अल्पावधि फसल ऋण हेतु राशि रूपये 16000 करोड़ के ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 31.03.2019 तक राशि रूपये 12589.19 करोड के अल्पावधि फसल ऋण वितरित किये गये हैं। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक एवं इसकी 24 शाखाओं तथा 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 829 शाखाओं को कोर बैंकिंग से संबद्ध किया गया है। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 18000.00 करोड के अल्पकालीन फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें लगभग 30 लाख कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण का लाभ दिया जाना अनुमानित है, जिसमें से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों की संख्या लगभग राशि रू. 6.00 लाख होने का अनुमान है।

प्रदेश के डिफाल्टर कृषकों को मुख्य धारा में लाने हेतु मुख्य मंत्री कृषक ऋण समाधान योजना लागू की गयी। इस योजना में कालातीत कृषकों को अपने खाते में बकाया मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा किये जाने पर संपूर्ण ब्याज राशि की माफी दिये जाने का प्रावधान था। योजना अंतर्गत 5.18 लाख कृषकों को लाभांवित किया जाकर राशि रूपये 1021.77 करोड़ के ब्याज की माफी दी गयी है।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2019 से प्रदेश के किसानों को फसल ऋण से मुक्त किये जाने हेतु **"जय किसान फसल ऋण माफी योजना"** लागू की गयी। योजना अंतर्गत किसानों के अल्पावधि एवं परिवर्तित मध्यावधि ऋण की अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख तक के ऋण माफ किये जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत प्रथम चरण में सहकारी बैंकों के 17.64 लाख कृषकों के राशि रूपये 4100.46 करोड़ के ऋण माफ किये गये है।

प्रदेश में सहकारिता के विकास के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना भी संचालित की जा रही है। 38 राजस्व जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इन पूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 3.05 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित की गई है। 10 परियोजनाएं दिनांक 1.04.2019 के पश्चात् भी संचालित है। इन 10 परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 4.00 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य हैं। शेष रहे 3 जिलों क्रमशः दतिया, दमोह एवं डिण्डौरी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं उनमें पारदर्शिता लाने के लिये उनके कम्प्यूटराईजेशन के लिये विभाग प्रयासरत है। इस हेतु नाबार्ड/भारत शासन की परियोजना में सम्मिलित होने राज्य शासन द्वारा अपनी सहमति दी गई है।

अंकेक्षण कार्य को पारदर्शी, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये स्वचलित कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से अंकेक्षण आवंटन की व्यवस्था लागू की गयी।

भाग – एक

विभागीय संरचना एवम् कार्यकलाप

सहकारिता विभाग के अधिनस्थ 03 विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालित है। जिनका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय एवम् उनके अधिनस्थ कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. अध्यक्ष म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल।
2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ, म0प्र0।
3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल।

1. म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण, सहकारी न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों पर की गई अपील रिवीजन आदि का निराकरण करता है। अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक शासकीय एवं एक अशासकीय सदस्य का प्रावधान है।

2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के अधीन विभिन्न श्रेणी के अधिकारी संभाग /जिलों में कार्यरत है। विभाग का नेटवर्क जिला स्तर तक फैला है। विभाग में अंकेक्षण बोर्ड कार्यरत है। जिसमें जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (अंकेक्षण) जिला अधिकारी के रुप में पदस्थ है।

1. संभागों के नाम जहां संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं संभाग प्रमुख हैः–
   भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल एवं चंबल संभाग (10 संभाग)
2. जिलों के नाम जहां उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला प्रमुख हैः–
   भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल, सीहोर, राजगढ, विदिशा, रायसेन, बैतूल, खरगौन, धार, खण्डवा, झाबुआ, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, सिवनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाडा, बालाघाट, टीकमगढ, छतरपुर, सीधी, सतना, अलीराजपुर सिंगरोली, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर (मालवा) (कुल 40 जिले)
3. पुराने संभागीय जिला कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवां में 07 सहायक आयुक्त, प्रशासन पदस्थ है।
4. जिलों के नाम जहां सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला प्रमुख हैः–
   हरदा, बडवानी, नीमच, दतिया, श्योपुर, कटनी, डिण्डोरी, दमोह, पन्ना, उमरिया, मण्डला (कुल 11 जिले)
5. प्रदेश के 51 जिलों में सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (अंकेक्षण) पदस्थ है।
6. न्यायिक मामलो के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर 01 पद अपर पंजीयक, 02 पद संयुक्त पंजीयक, 03 पद उप पंजीयक एवं 04 पद संयुक्त पंजीयक, संभागीय मुख्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा 04 पद उप पंजीयक जिला कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर

के लिये स्वीकृत है, तथा उक्त न्यायालयों हेतु 14 पद शीघ्रलेखक, 28 पद न्यायालयीन लिपिक 14 पद भृत्य के (कलेक्टर दर से) स्वीकृत है।

3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्रधिकारी, सहकारी संस्थाओं के निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से निर्वाचन का कार्य संचालन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के अलावा सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, के स्वीकृत पदों का प्रावधान है।

वर्ष 2018–19 में किये गये स्थानान्तरण, विभागीय जॉच, पदोन्नतियॉ समयमान वेतनमान, नियुक्तियॉ आदि का विवरण।

वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार स्थानान्तरण किये गये।

क्रमांक	श्रेणीवार	प्रशासकीय	स्वयं के व्यय पर	आपसी	निरस्त
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम श्रेणी	40	01	–	01
2	द्वितीय श्रेणी	22	03	–	–
3	1. कार्यपालिक	49	35	02	–
	2. अकार्यपालिक	09	04	–	–
4	चतुर्थ श्रेणी	–	01	–	–
	योग	120	44	02	01

विभागीय जॉच – (वर्ष 2018–19)

अ.क्र.	पद श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष में निराकृत	नये प्रकरण	योग
1	राजपत्रित	21	04	–	17
2	अराजपत्रित	47	24	15	38
योग		68	28	15	55

पदोन्नति – वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार पदोन्नतियॉ की गई है।

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	प्रथम श्रेणी में	–
2	द्वितीय श्रेणी में	–
3	1. कार्यपालिक में	–
	2. अकार्यपालिक में	–
4	चतुर्थ श्रेणी में	–
	योग	–

समयमान वेतनमान – वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार समयमान वेतनमान दिया गया है।

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	प्रथम श्रेणी	07
2	द्वितीय श्रेणी	03
3	1. कार्यपालिक	6
	2. अकार्यपालिक	10
4	चतुर्थ श्रेणी	03
योग	–	29

वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार नियुक्तियॉ की गई है।

क्रमांक	श्रेणी	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	योग
1	द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–	–
2	1. कार्यपालिक	14	02	05	03	24
	2. अकार्यपालिक	02	03	13	04	22
3	चतुर्थ श्रेणी	–	–	–	–	–
	योग	16	05	18	07	46

(1) सहायक ग्रेड–3 के पद पर 10 तथा भृत्य के पद पर 02 अनुकम्पा नियुक्तियॉ की गई है।

महत्वपूर्ण विभागीय सांख्यिकी जानकारी

मुख्यालय तथा संभाग/जिलों में अधिकारियों एव कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की स्थिति वर्ष

2018–19

अ.क्र.	पद नाम	मुख्यालय स्तर पर	संभाग स्तर पर	जिला स्तर पर	योग
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	01	–	–	01
2	अपर आयुक्त एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	03	–	–	03
3	संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	03	14	–	17
4	संयुक्त संचालक वित्त	01	–	–	01
5	उप आयुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	08	–	44	52
6	सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजींयक सहकारी संस्थाऐ	18	–	69	87
7	सहायक यंत्री	01	–	–	01
8	प्रशासकीय अधिकारी	01	–	–	01
9	लेखा अधिकारी	01	–	–	01

10	अंकेक्षण अधिकारी	09	10	112	131
11	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	18	—	308	326
12	सहकारी निरीक्षक	30	18	860	908
13	उप अंकेक्षक	08	—	466	474
14	अधीक्षक	06	—	—	06
15	संभागीय अधीक्षक	—	10	—	10
16	सहायक ग्रेड–1	22	—	86	108
17	सहायक ग्रेड–2/न्यायालयिन लिपिक	55	26	116	197
18	सहायक ग्रेड–3	41	27	147	215
19	स्टेनोग्राफर	16	14	12	42
20	स्टेनोटायपिस्ट	03	—	20	23
21	वाहन चालक	04	02	16	22
22	सुपरवाईजर	02	—	—	02
23	दफ्तरी	03	10	33	46
24	जमादार	01	—	—	01
25	भृत्य	42	37	222	301
26	चौकीदार	02	—	06	08
27	फर्राश	02	—	06	08
28	पानीवाला	02	—	—	02
29	स्वीपर	01	—	—	01

महत्वपूर्ण विभागीय सांख्यिकी जानकारी

म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन भोपाल

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

(वर्ष 2018–19)

अ.क्र.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिर्माक
1	2	3	4	5	
1	अध्यक्ष	01	01	—	—
2	विभागीय सदस्य	01	01	—	प्रतिनियुक्ति से
3	सदस्य (सहकारी क्षेत्र से)	01	—	01	—
4	रजिस्ट्रार	01	01	—	प्रतिनियुक्ति से
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (हिन्दी)	03	01	02	01 पद प्रतिनियुक्ति से
6	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (अंग्रेजी)	01	—	01	—
7	सहायक ग्रेड–1/लेखापाल	02	01	01	01 पद प्रतिनियुक्ति से
8	सहायक ग्रेड–2	04	04	—	02 पद प्रतिनियुक्ति से
9	सहायक ग्रेड–3	03	02	01	01 पद प्रतिनियुक्ति से
10	वाहन चालक	04	04	—	02 प्रतिनियुक्ति से
11	जमादार	01	—	01	—
12	भृत्य	09	09	—	04 प्रतिनियुक्ति से
13	चौकीदार	01	—	01	—
14	सफाईवाला कर्म फर्राश (अंशकालिक)	01	—	01	
		33	24	09	

महत्वपूर्ण विभागीय सांख्यिकी जानकारी

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय सतपुडा भवन भोपाल

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

(वर्ष 2018–19)

अ. क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	निर्वाचन प्रधिकारी	01	01	—
2	सचिव	01	01	—
3	उप सचिव	01	—	01
4	अवर सचिव	01	01	—
5	लेखापाल	01	01	—
6	सहकारी निरीक्षक	02	—	02
7	लिपिकीय कर्मचारी	04	04	—
8	शीघ्रलेखक	04	—	04
9	कम्प्यूटर आपरेटर	02	02	—
10	भृत्य (संविदा पर)	05	03	02
11	प्रोसेस सर्वर	02	01	01
12	चौकीदार	01	—	01
	योगः–	25	14	11

विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख शीर्ष संस्थाओं का विवरण

1. सहकारिता विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

क्रमांक	संस्था का नाम
1	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
2	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संध मर्या., भोपाल
3	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल
4	म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या., भोपाल
5	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल
6	म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल
7	म.प्र.राज्य सहकारी मुद्रणालय मर्या., भोपाल
8	म.प्र. राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ मर्या., भोपाल
9	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ मर्या., भोपाल
10	म.प्र. राज्य सहकारी पर्यटन संघ मर्या., भोपाल
11	म.प्र. जन औषधि सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल

2. पशुपालन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल

3. वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य लघुवनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्या., भोपाल

4. मछली पालन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या. भोपाल

5. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभागके प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी औद्यौगिक संघ मर्या., भोपाल
2	म.प्र. राज्य सहकारी रेशम संघ मर्या., भोपाल

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभागके प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी पावरलूम बुनकर संघ मर्या., बुरहानपुर

7. अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्या., भोपाल

8. वर्तमान में परिसमापनाधीन प्रमुख शीर्ष संस्थायें

1	म.प्र. राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल
2	म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन संघ मर्या., भोपाल

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाओं के क्रियाकलाप

प्रदेश में अल्पकालीन त्रिस्तरीय साख संरचना निम्नानुसार है:–

1. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं

वर्तमान में प्रदेश में कुल 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की प्रतिपूर्ति जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा की जाती है। इन संस्थाओं के द्वारा मुख्यतः कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि नगद ऋण, खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाई वस्तु ऋण के रूप में होता है। इन संस्थाओं के द्वारा शासन की नीति अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के संचालन किया जाता है तथा शासन की नीति अनुसार कृषकों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न यथा गेहूं, धान तथा मक्का आदि एवं दलहन उपजों का भी उपार्जन किया जाता है।

2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा न केवल प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति ही की जाती है, बल्कि इन बैंकों के द्वारा अकृषि ऋण यथा आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यावसायिक ऋण आदि भी दिया जाता है। प्रदेश में 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकें अपनी 829 शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय करती हैं। सभी 38 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त है। सभी बैंक कोर बैंकिंग प्रणाली पर कार्य कर रहे है।

जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्र.	मद	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19 अन अंकेक्षित
1.	जिला बैंकों की संख्या	38	38	38
2.	अमानतें	16050.81	17369.80	19150.39
3.	कार्यशील पूंजी	32452.86	35905.78	37165.19
4.	ऋण वितरण	12036.16	12976.63	12597.43

3. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक)

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत यह शीर्ष स्तरीय संस्था है। अपेक्स बैंक न केवल अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति जिला बैंकों को करता है बल्कि यह अपनी 24 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय भी करता है। प्रदेश में किसानों को सहकारी बैंको के माध्यम से 46.89 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिनांक 31.12.2018 तक वितरित किये गये हैं। प्रदेश की सभी सहकारी बैंको मे कोर बैंकिंग प्रणाली लागू हो गई है जिससे अपेक्स बैंक मुख्यालय एवं इसकी 24 शाखाओं एवं 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के मुख्यालय एवं 829 शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंकिंग कार्य किया जा रहा है।

अपेक्स बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्र.	मद	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	31.03.2019 अनअंकेक्षित
1.	शाखाओं की संख्या	24	24	24
2.	अंशपूंजी	565.92	582.39	751.23
3.	अमानतें	5901.31	4667.08	5338.73
4.	कार्यशील पूंजी	15221.75	13688.26	15072.28
5.	शुद्ध लाभ (वार्षिक)	29.80	63.52	9.29

2/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल

प्रदेश में दीर्घावधि कृषि साख क्षेत्र में गठित 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों एवं म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., को मंत्री परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में परिसमापन में लाया गया है।

राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मचारियों का विभिन्न सहकारी संस्थाओं/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में संविलियन हेतु संविलियन योजना लागू की गयी थी जो 30 जून 2017 पर समाप्त हो गयी है। जिसके तहत राज्य विकास बैंक भोपाल के 109 सेवायुक्तों का तथा जिला विकास बैंके 337 सेवायुक्तों का संविलियन प्रदेश की शीर्ष स्तरीय संस्थाओं एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया गया है।

उक्त संविलियन योजना को म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ/3–6/2017/15–1 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा पुनः 31 मार्च 2019 तक बढ़ाई गई थी, जो वर्तमान में समाप्त हो गई है । उक्तावधि में राज्य विकास बैंक के 02 सेवायुक्त तथा जिला विकास बैंक के 60 सेवायुक्तों का संविलियन किया गया। इस प्रकार उरोक्त संविलियन योजनाओं के अंतर्गत राज्य विकास बैंक के 111 तथा जिला विकास बैंकों के 397 सेवायुक्तों कुल 508 सेवायुक्तों की पात्रता का निर्धारण कर संविलियन किया गया है।

3/ म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल

विपणन क्षेत्र में द्विस्तरीय संरचना के अंतर्गत प्रदेश में कृषि उपजों के विपणन एवं भंडारण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ वर्ष 1956 से कार्यरत है जिसके अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर 240 प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाएं कार्यरत है। संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाईयां, प्रमाणित बीज एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाते है। कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य दिलाना, कृषकों द्वारा उत्पादित उपजों को वैज्ञानिक ढंग से भंडारण की व्यवस्था करना तथा राज्य शासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि

उपजों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करना संघ का मुख्य कार्य है। संघ द्वारा 41 जिला कार्यालयों के माध्यम से उक्त व्यवसाय किया जाता है। विपणन संघ द्वारा कुल 833645 मे. टन क्षमता के गोदामों का संचालन किया जा रहा है।

विपणन संघ की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

(राशि रूपये करोड़ों में/मात्रा लाख टन में)

क्र.	मद	वर्ष 2016–17 (अंकेक्षित)	वर्ष 2017–18 (अंकेक्षित)	वर्ष 2018–19 (अनुमानित)
1.	अंशपूंजी	8.74	8.74	8.74
2.	निधियां	81.58	114.81	125.88
3.	कार्यशील पूंजी ऋण	500.89	657.27	847.57
4.	कुल व्यवसाय	6216.90	8784.79	15700.60
5.	शुद्ध लाभ	47.47	48.15	104.00
6.	कृषि आदान वितरण	2449.30	2483.55	2918.63
7.	समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन (मात्रा)	13.83	23.80	25.58
8.	समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन (मात्रा)	7.87	5.83	8.61

4/ म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल

गृह निर्माण क्षेत्र में द्विस्तरीय संरचना के अंतर्गत प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आवास ऋण एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल तथा जिलों में प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल वर्ष 1970 से कार्यरत है। वर्तमान में आवास संघ की प्रदेश में 975 प्राथमिक गृह निर्माण संस्थाएं सदस्य हैं। आवास संघ संभाग स्तर पर अपनी 04 शाखाओं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन एवं जबलपुर के माध्यम से अपना व्यवसाय करती है। आवास संघ का मुख्य उद्देश्य राज्य की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं/व्यवसायिक निर्माण से संबंधित संस्थाओं/कम्पनियों/व्यक्तियों के माध्यम से आवासीय एवं अनुषंगी सुविधायें उपलब्ध कराना है। आवास संघ गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि के विकास का कार्य तथा संयुक्त उपक्रम परियोजना के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य भी करता है। वर्तमान में आवास संघ की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

1. अंशपूंजी

(क) संघ की सदस्य गृह निर्माण सहकारी समितियाँ – 2.19 करोड़

(ख) मध्यप्रदेश शासन का योगदान – 3.13 करोड़

योग :– 05.32 करोड़

2. लाभ वर्ष 2017–18 में संघ द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. रचना नगर, भोपाल में स्थित 6.16 एकड़ भूमि पर मान्नीय विधायकों/ सांसदों हेतु रूपये 176.00 करोड़ की लागत से बहुमंजिला 368 प्रकोष्ठों के रचना टावर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है । जिसमें से 368 प्रकोष्ठों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आवास संघ द्वारा ट्रेड आई.टी.आई. के कुल 12 आई.टी.आई भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/एफ–15–1/2016/42–2 भोपाल दिनांक 21.12.2016 है। वर्तमान में 06 ट्रेड की आई.टी.आई. हाट पिपलिया जिला देवास, बेगम गंज जिला रायसेन, घोड़ा डोगंरी जिला बैतुल, मानपुर जिला उमरिया, पाली जिला उमरिया, चन्दला जिला छतरपुर बदरा जिला अनूपपुर, पिपलानारायणवार जिला छिन्दवाड़ा, एवं 03 ट्रेड की आई.टी.आई. खाचरोद जिला उज्जैन, मैहर जिला सतना एवं उमरिया जिला उमरिया का कार्य प्रगति पर है।
3. राष्ट्रीय कृषि विकास (आर.के.वी.वाय.) अंतर्गत वर्ष 2018–19 में निर्धारित लक्ष्य 1000 एमटी क्षमता वाले 172 गोदाम लागत राशि रूपये 100.00 करोड़ के विरूद्ध 150 गोदाम कार्य पूर्ण किये गये है शेष कार्य प्रगति पर है।
4. म.प्र. राज्य सहकारी बीज एवं उत्पादक संघ के लिये 1000 एमटी क्षमता गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट का निर्माण लागत रूपये 10.00 करोड़ में से 12 गोदामों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शेष 06 गोदामों का कार्य प्रगति पर है।
5. आयुष विभाग के अंतर्गत आयुष परिसर भोपाल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय, चिकित्सा महाविधालय एवं छात्रावासों आदि का कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में सफलतापूर्वक किया गया है।
6. ग्वालियर में "गोले का मंदिर" स्थित 60 एकड़ भूमि शासन से आवास संघ को प्राप्त हुई है जिस पर न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ <u>म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या., भोपाल</u>

प्रदेश में प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों, थोक उपभोक्ता भंडारों एवं अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से आम उपभोक्ता वस्तुयें प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु त्रिस्तरीय संरचनापर आधारित संस्था कार्यरत है।

संघ द्वारा प्रदेश में संभागीय स्तर पर संचालित 8 शाखा, 3 प्रियदर्शिनी केन्द्र, 1 विस्तार पटल, 1 खंडवा शहर में गैस एजेंसी तथा भोपाल में 1 प्रेस ईकाई के माध्यम से उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोगी वस्तुयें व कार्यालयीन सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है। उपभोक्ता संघ का विगत तीन वर्षों का व्यवसाय निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	राशि
1	2016–17	70.93
2	2017–18	58.46
3	2018–19(माह फरवरी 19 तक)	47.49

म.प्र. राज्य में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों को बहुउददेशीय उचित मूल्य की दुकानों में परिवर्तित करने की कार्ययोजना प्रक्रियाधीन है। इस योजना में उपभोक्ता संघ नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य संपादित करेगा।

वैकल्पिक व्यवसाय के लिए संघ की उपविधि – 4(ब) 17 में शासन के नियमानुसार दवा मेडिसीन आदि का व्यापार करने का प्रावधान है। दवा व्यवसाय हेतु संघ द्वारा डाक्टर समूह की सहायता लेकर सीपीपीपी मोड पर प्रियदर्शनी मेडिकल स्टोर प्रियदर्शनी परिसर में माह नम्बर 2018 से आरम्भ की गयी है यह एक प्रयोगात्मक कार्ययोजना है।

वर्तमान में व्यवसायिक प्रतिर्स्पधात्मक परिवेश में उपभोक्ता संघ अपने प्रियदर्शनी केन्द्रों का आधनिकीकरण के प्रति प्रयासरत है।

6/ म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल

कृषि को लाभ का धंधा बनाये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बीज स्थापन दर में वृद्धि करने एवं प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2002 से प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों के गठन/पंजीयन का अभियान प्रारंभ किया गया एवं वर्ष 2004 में प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में बीज संघ का गठन किया गया है। बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या 830 है । मार्च 2019 की स्थिति में बीज संघ की अंश पूंजी 517.05 लाख है।

बीज संघ का प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में बीज उत्पादन/वितरण में वर्तमान में 79 प्रतिशत का योगदान है। बीज समितियों के माध्यम से बीज उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि से बीज प्रतिस्थापन दर में हुई बढ़त के कारण प्रदेश के कृषि उत्पादन वृद्धि में बीज संघ की महत्वपर्ण सहभागिता रही है।

बीज उत्पादन वितरण की प्रगति :–

वर्ष 2005–06 में 19.85 हजार हेक्टेयर पंजीकृत क्षेत्र में 2.11 लाख क्विंटल बीज, का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2016–17 में 78.39 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 10.58 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया एवं मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2018–19 में आच्छादित क्षेत्र 94.90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 11.80 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन कर प्राथमिक बीज उत्पादक समितियों के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

आगामी 02 वर्षों के प्रस्तावित बीज उत्पादन कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (क्षेत्र हजार हेक्टेयर)	बीज उत्पादन (लाख क्विं. में)
2018–19	94.90	11.80
2019–20	97.37	12.56

कृषि मामलों हेतु गठित कृषि केबिनेट द्वारा दिनांक 08.12.2011 को लिये गये निर्णय अनुसार बीज संघ को चयनित 20 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्माण हेतु एक–एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के निर्णय के परिपालन में प्रत्येक जिले में एक–एक एकड़ भूमि निःशुल्क प्राप्त हो चुकी है। एक जिला हरदा में भूमि आवंटन होना शेष है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल को उक्त भूमि पर 1000 मे. टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु एजेन्सी नियुक्त किया गया है। भूमि प्राप्त सभी 19 जिलों में गोदाम निर्माण हेतु कार्यादेश दिये जा चुके है। जिसमें से 12 गोदामों (खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर, विदिशा, बालाघाट, टीकमगढ़ सागर, देवास, सतना, सीहोर, उज्जैन एवं धार) का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। 06 गोदामों (होशंगाबाद, मण्डला, दमोह, झाबुआ, बड़वानी एवं बैतूल) का निर्माण कार्य प्रगति पर है जबकि रायसेन में भूमि पर अतिक्रमण के कारण कार्य लंबित है। निर्मित 12 गोदामों में बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु म.प्र. एग्रो इण्डस्ट्री कारपोरेशन द्वारा दरों का निर्धारण किया जा चुका है। 07 केन्द्र बालाघाट, विदिशा, धार, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर एवं सीहोर के लिए दिनांक 22.01.19 को प्रदाय आदेश जारी किया गया । ग्रेडिंग मशीन एवं अन्य उपकरण केन्द्र पर प्राप्त हो चुके है । मशीनों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है ।

12 प्रक्रिया केन्द्रों में संयंत्रों की स्थापना के बाद बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज प्रसंस्करण कार्य हेतु संयत्र लीज पर दिये जायेंगे।

आर.के.व्ही.वाय. अंतर्गत गत वर्षों में प्राप्त राशि से बीज उत्पादक सहकारी समितियों के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं सदस्य कृषकों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है।

7/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल

म.प्र. राज्य सहकारी संघ की स्थापना 25 मार्च 1958 को हुई है। संघ 1958 से निरंतर सहकारिता में मानव संसाधन विकास में क्रियाशील है। यह म.प्र. शासन द्वारा वित्त पोषित है।

संघ की प्रमुख गतिविधियों में म.प्र. सहकारी आंदोलन में मानव संसाधन विकास/सहकारी शिक्षण/सहकारी प्रशिक्षण/कम्प्यूटर विधा का ज्ञान तथा सहकारिता का प्रचार प्रसार/साहित्य प्रकाशन सम्मिलित है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समाचार का पाक्षिक रूप से नियमित प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें शासकीय योजनाओं तथा सहकारिता की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है तथा वर्ष वर्ष 2018–19 में 43437 व्यक्तियों को सहकारी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष 2018–19 में विशेष उपलब्धि के रूप में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला सहकारी संस्थाओं के 295 संचालकों को प्रशिक्षित किया गया इसके अलावा संजिवनी एप पर 3755 तथा खादी ग्रामोंद्योग के 46 अधिकारियों को कुशल प्रबंधन सह उन्मुखीकरण पर तथा सहकारिता विभाग के 38 अधिकारियों को सूचना के अधिकार के साथ ही विभाग के अन्य अधिकारियों हेतु न्यायालयीन प्रक्रिया वसूली पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8/ एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

- प्रदेश में एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली एवं राज्य शासन की वित्तीय सहायता से वर्ष 1994 से एकीकृत सहकारी विकास परियेाजनाएं संचालित है। परियोजनाओं अंतर्गत संबंधित जिले की विभिन्न सहकारी संस्थाओं को अद्योसंरचना विकास, बैंकिंग काउंटर, लॉकर, फर्नीचर फिक्चर, नावजाल, केन, साईकिल इत्यादि आवश्यक सामग्री हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

- योजनान्तर्गत एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली से राज्य शासन को 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है तथा राज्य शासन द्वारा परियोजनाओं को 50 प्रतिशत ऋण, 30 प्रतिशत अंशपूंजी एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में मार्च 2019 तक 38 राजस्व जिलों में परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में प्रदेश के 10 जिलो में क्रमशः हरदा, शिवपुरी, धार, छतरपुर, ग्वालियर, सतना, मण्डला, पन्ना, श्योपुर एवं मुरैना में परियोजनायें संचालित है। शेष 3 जिले क्रमशः डिण्डोरी, दतिया एवं दमोह की डी.पी.आर.तैयार की जाकर स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- पूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से लगभग विभिन्न क्षमताओं के नवीन गोदाम निर्माण से 250000 मे.टन एवं जीर्णशीर्ण गोदामों की मरम्मत से लगभग 55000 एम.टी. भण्डारणक्षमता विकसित हुई है। इस प्रकार प्रदेश में परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 305000 एम.टी. भण्डारण क्षमता विकसित हुई है।

- वर्तमान में संचालित 10 परियोजनाओं से परियोजना से लगभग 4.00 लाख भण्डारण क्षमता विकसित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से अभी तक लगभग एक लाख नब्बे हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता विकसित हो चुकी है।

- <u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.व्ही.वाय.) रफ्तार</u> :– भारत सरकार कृषि विभाग की इस योजना में कृषि विभाग द्वारा सहकारिता विभाग को वर्ष 2012–13 में 1000 मे.टन क्षमता के 200 गोदामों के निर्माण हेतु 134.00 करोड़ राशि शत प्रतिशत अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध कृषि विभाग द्वारा अभी तक विभाग को राशि रू. 100.00 करोड़ उपलब्ध

कराये गये है। लक्ष्य अनुरूप वर्तमान में 150 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर एक लाख पचास हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता विकसित की गई है तथा 22 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु आर.के.व्ही.रफ्तार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता विभाग हेतु निम्न तीन प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किये गये है।

(राशि लाखों में)

क्र.	प्रोजेक्ट का नाम	2018–19	2019–20	योग
01.	Project for the repair of 100 MT old Go-down of Cooperative Deptt.	1688.31	1641.83	3330.14
02.	Construction of 200 MT. go-down for PACS	2086.50	2086.50	4173.00
03.	Construction of 1000 MT. go-down for PACS	1800.00	1800.00	3600.00
	योग	**5574.81**	**5528.33**	**11103.14**

भारत सरकार कृषि विभाग द्वारा Project for the repair of 100 MT old Go-down of Cooperative Deptt. हेतु स्वीकृत राशि रू. 3330.14 लाख के विरूद्ध रू. 1693.12 लाख एवं Construction of 200 MT. go-down for PACS हेतु राशि रू. 4173.00 लाख के विरूद्ध रू. 2587.26 लाख एवं Construction of 1000 MT. go-down for PACS हेतु राशि रू. 3600.00 लाख के विरूद्ध रू. 711.34 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 4991.72 लाख शासन द्वारा अधिकृत निर्माण एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.भोपाल को प्रदत्त किये गये है। निर्माण/मरम्मत कार्यों को प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग के दायित्व

1. प्रशासकीय कार्य

विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाकर संस्थाओं को मार्गदर्शन व उन पर पर्यवेक्षण तथा उनके उन्नयन हेतु कार्य किए जाते हैं। सहकारी संस्थाओं की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु उनके प्रस्तावों पर विचार कर शासन तथा वित्तदायी एजेन्सियों के माध्यम से ऋण, अंशपूंजी एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। संस्थाओं के संचालक मंडल के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व नवीन संचालक मंडल के गठन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन कराये जाते हैं। संस्थाओं द्वारा सहकारी अधिनियम एवं नियम तथा उनके उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की स्थिति की जानकारी हेतु समय–समय पर निरीक्षण एवं जांच का कार्य किया जाता है।

2. वैधानिक कार्य

सहकारी अधिनियम एवं नियम तथा संस्थाओं की उपविधियों में संस्थाओं के कार्य संचालन के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। संस्थाओं के पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा प्रावधानों के अनुसार दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान अंतर्गत विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

3. अंकेक्षण कार्य

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में दिनांक 13.02.2013 से हुये संशोधन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षक की नियुक्ति संस्थाओं की आमसभा द्वारा की जाना है । संस्थाओं को स्वतंत्रता दी गई है कि वे सनदी लेखापाल अथवा विभागीय पेनल से सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण करायें । अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत टीप में उल्लेखित आपत्तियों को निराकरण संस्थाओं से कराया जाकर त्रुटियों का निराकरण कराया जाता है। वर्ष 2018–19 में 40830 सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण कराये जाने थे जिसमे से दिनांक 31.03.2019 पर 34662 सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण पूर्ण किया गया है जो 84.89 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2018–19 में सहकारी संस्थाओं से वसूली योग्य अंकेक्षण शुल्क की कुल राशि रूपये 2373.76 लाख के विरूद्ध राशि रू. 472.48 लाख की वसूली की गई है।

स्वचलित अंकेक्षण आवंटन प्रकिया :– वर्ष 2017–18 में प्रदेश के सभी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण आवंटन प्रकिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिये स्वचलित अंकेक्षण आवंटन प्रकिया से आवंटन किये गये है । वर्ष 2018–19 में प्राथमिक संस्थाओं के साथ–साथ संभागीय एवं शीर्ष सहकारी संस्थाओं के आवंटन भी स्वचलित प्रकिया से किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

4. न्यायालयीन कार्य

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा नियोजन से संबंधित विवादों का निराकरण सहकारी न्यायालयों में किया जाता है। न्यायालय सहायक/उप पंजीयक द्वारा निराकृत प्रकरणों में प्रथम अपील/निगरानी संयुक्त पंजीयक के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील/निगरानी म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार न्यायालय पंजीयक तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों संयुक्त पंजीयक/अपर पंजीयक द्वारा निराकृत विवाद प्रकरणों के विरूद्ध प्रथम अपील मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण में प्रस्तुत की जाती है।

प्रदेश में लंबित सहकारी न्यायालयीन प्रकरणों की संकलित जानकारी

क्र.	धारा	दिनांक 01.04. 2018 पर लंबित रहे प्रकरणों की संख्या	दिनांक 01. 04.2018 से 31.12.2018 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	योग (3+4=5)	दिनांक 01.04. 2018 से 31.12. 2018 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.12. 2018 पर लंबित प्रकरणों की संख्या
1	84 क	294	285	579	205	374
2	78	239	257	496	229	267
3	64	2987	994	3981	898	3083
4	55 (2)	513	136	649	158	491
5	84	108271	32985	141256	33689	107567
6	80क	88	42	130	65	65
7	अन्य धारा	34	10	44	24	20
योग		**112426**	**34709**	**147135**	**35268**	**111867**

प्रदेश में जिलों में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संकलित जानकारी
(दिनांक 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में)

क्र	सहकारी संस्थाओं के प्रकार	महिला सह. समिति		समस्त सह.समितियां	
		कार्यशील	परिसमापन	कार्यशील	परिसमापन
1	**विपणन सहकारी संस्थाऐं**	0	0	252	36
2	फल फूल साग सब्जी विपणन सहकारी संस्थाऐं	0	0	151	110
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं	0	0	4523	19
4	प्राथमिक अकृषि साख सहकारी संस्थाऐं	147	66	3047	673
5	प्राथमिक तिलहन सहकारी संस्थाऐं	0	0	27	481
6	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाऐं	1749	383	7467	2299
7	प्राथमिक मछली पालन सहकारी संस्थाऐं	32	3	2223	260
8	प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्थाऐं	21	22	442	539
9	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	1562	105	4351	577
10	खनिज/श्रमिक/उत्खनन सहकारी संस्थाऐं	2	5	541	348

11	गृहनिर्माण सहकारी संस्थाऐं	7	1	2085	867
12	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस	9	1	190	78
13	ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाऐं	0	0	1	12
14	औद्योगिक सहकारी संस्थाऐं	75	87	519	989
15	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्थाऐं	1	0	1073	14
16	सामान्य सहकारी संस्थाऐं	20	17	475	244
17	बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाऐं	886	564	1103	674
18	बीज उत्पादक सहकारी संस्थाऐं	1	0	1671	977
19	सामूहिक कृषि/कृषि सहकारी संस्थाऐं	0	0	21	227
20	पशु/कुक्कुट पालन सहकारी संस्थाऐं	4	0	78	46
21	प्रसंस्करण सहकारी संस्थाऐं	1	2	40	63
22	शीत गृह सहकारी संस्थाऐं	0	0	17	5
23	सहकारी शक्कर कारखाना	0	0	6	5
24	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	0	0	38	0
25	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	0	0	0	38
26	नागरिक सहकारी बैंक	12	4	50	17
27	जिला सहकारी संघ	0	0	38	0
28	जिला वनोपज संघ	0	0	60	1
29	जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार	0	0	37	5
30	जिला अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति	0	0	49	0
31	जिला बीडी सहकारी संघ	0	0	0	1
32	मछुआ संघ	0	0	2	1
33	वृक्ष सहकारिता	0	0	0	52
34	यातायात सहकारी संस्थाऐं	0	0	119	76
35	अन्य	17	23	554	337
36	शिक्षा/एजुकेशन	0	0	2	0
37	पर्यटन	0	0	34	0
38	सौर उर्जा	0	0	1	0
39	क्रय–विक्रय एवं प्रक्रिया	0	0	9	2
40	जैविक बीज एवं खाद	0	0	8	0
41	नवाचार	0	0	430	0
42	प्राथमिक अजिविका बहुप्रयोजन सह. संस्था	9735	0	9735	0
43	संकुल महिला अजीविका बहुप्रयोजन सह. संघ	252	0	252	0
	योग	**14533**	**1283**	**41721**	**10073**

भाग–2

विभागीय बजट 2018–19

विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं एवं उनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है । विभाग को प्राप्त होने वाले बजट का विवरण निम्नानुसार है:–

भाग–(अ)

(राशि लाख में)

स. क.	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान 2018–19	प्रथम अनुपूरक 2018–19	द्वितीय अनुपूरक 2018–19	योग	कोषालय से आहरित राशि 31.03.19 की स्थिति पर
1	2	3	4	5	7	8
	मांग संख्या –17(0101)	122813.88	0	100000.00	222813.88	143695.96
	मांग संख्या –17(0102)	13843.53	0	0	13843.53	4294.18
	मांग संख्या –17(0103)	5924.93	0	0	5924.93	3062.25
	योग	**142582.34**	**0**	**100000.00**	**242582.34**	**151052.39**

विभागीय योजनाओं में बजट प्रावधान एवं व्यय (योजना अनुसार)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग को मांग संख्या 17–0101 (सामान्य), मांग संख्या 17–0102 (अनुसूचित जन जाति) तथा मांग संख्या 17–0103 (अनुसूचित जाति उपयोजनाओं) में संचालित की जाने वाली योजनाओं में प्रावधान के विरूद्व व्यय की स्थिति निम्नानुसार है

भाग–ब–

क	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2018–19			प्रथम ,द्वितीय, अनुपूरक 2018–19 मांग संख्या 0101,0102,013	अनुपूरक सहित कुल योग	कोषालय से आहरित राशि 31. 03..2019 की स्थिति में
		0101	0102	0103			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघ के गठन की योजना (3699)	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	103.50
2	मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता (2091)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03	0.00
3	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (5006)	1028.79	407.52	72.90	0.00	1509.21	1141.43
4	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान (9134)	19572.00	2796.00	932.00	0.00	23300. 00	563.78
5	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान (9254)	52920.00	7560.00	2880.00	0.00	63360.00	1501.69
6	वित्तीय शिक्षण – (2106)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

7	नवाचार अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन हेतु सहायता– (2107)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
8	बीज संघ को रिवाल्विंग फण्ड हेतु अनुदान (2111)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
9	भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान (6678)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
10	बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान (6682)	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	351.00
11	सहकारी शक्कर कारखानों की स्थापना एवं सहायता – (2113)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
12	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (6965)–0910	6500.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	1748.87
13	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों/म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को अंशपूंजी सहायता (2112)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
14	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी (5318)	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	100000.00
15	नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता (6684)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
16	प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृणीकरण (6676)	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00
17	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (7827)	880.00	80.00	40.00	0.00	1000.00	0.00
18	म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का कय (3242)	10643.00	0.00	0.00	0.00	10643.00	10642.12
19	भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्जे (6680)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
20	मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना (2341)	30000.00	3000.00	2000.00	0.00	35000.00	35000.00
21	प्याज कय से विपणन संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति – (7261)	0.01	0.00	0.00		0.01	0.00
	योग	**122813.88**	**13843.53**	**5924.93**	**100000.00**	**242582.34**	**151052.39**

भाग –ब– भारत शासन का हिस्सा

सहकारिता विभाग के बीसीओ अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना स्वीकृत नहीं है।

भाग –स – अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत बजट प्रावधान वर्ष 2018–19

वित्तीय वर्ष 2018–19 में शासन द्वारा सहकारिता विभाग को मांग संख्या 17–0102 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की योजनाओं में कुल रू. 13843.53 लाख का बजट प्राप्त हुआ है । बजट के विरूद्व दिनांक 31.03.2019 तक राशि रूपये 4294.18 लाख कोषालय से आहरित की गई है। विभाग की वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति उप योजना क्षेत्र मांग संख्या 17–0103 में राशि रू 5924.93 लाख का बजट प्राप्त हुआ है। बजट के विरूद्व दिनांक 31.03..2019 तक राशि रू. 3062.25 लाख का व्यय हुआ है । पैक्स एवं लैम्पस समितियों को प्रबंधकीय अनुदान – योजना जिला स्तरीय योजना है, इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र की सहकारी साख संस्थाओं को प्रबंधकीय कार्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अंतर्गत उपयोजना में संचालित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

माग संख्या–17 – अनुसूचित जन जाति उप योजना (0102) एवं अनुसूचित जाति (0103)

(राशि लाख में)

(भौतिक उपलब्धि इकाई में)

क.	योजना का नाम	वर्ष 2018–19 में बजट प्रावधान		अनुपूरक अनुमान 2018–19	योग	कोषालय से आहरित राशि 31.03. 2019. की स्थिति में	भौतिक उपलब्धि में	
		0102	0103			0102–03	0102	0103
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को ब्याज अनुदान– (9254)	7560.00	2880.00	0.00	10440.00	1501.69	347000	159000
2	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (5006)	407.52	72.90	0.00	480.42	413..73	849	3674
3	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान (9134)	2796.00	932.00	0.00	3728.00	441.01	365	25000
4	मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता– (2091)	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0	0

5	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (7827)	80.00	40.00	0.00	120.00	0.00	0	0
6	वित्तीय शिक्षण (2106)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0	0
7	नवाचार अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान (2107)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0	0
8	मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना –(2341)	3000-00	2000.00	0.00	5000.00	5000.00	108000	44000
	योग	**13843.53**	**5924.93**	0.00	**19768.46**	**7356.43**		

विगत तीन वर्षों में विभागीय योजनाओं के बजटीय प्रावधान एवं व्यय की तुलनात्मक स्थितिः–शासन द्वारा विभाग की योजनाओं में विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये बजट एवं कोषालय द्वारा आहरित राशि की जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

भाग (द) राज्य योजनायेः–

विगत 3 वर्षों में विभागीय योजना को उपलब्ध बजट एवं व्यय का विवरण

(राशि लाख में)

क.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	कोषालय से आहरित राशि 31.03...2019 की स्थिति पर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघ के गठन की योजना – (3699)	94.00	94.00	105.00	105.00	115.00	103.50
2	विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण –(4026)	10.00	9.00	11.00	10.34	0.00	0.00
3	मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता –(2091)	22458.23	18148.02	27500.00	18511.19	0.03	0.00
4	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान –(5006)	1280.71	1152.42	1649.04	1456.92	1509.21	1141.46

5	सूचना प्रोद्योगिकी –(8808)	100.00	89.14	100.00	93.20	0.00	0.00
6	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान –(9134)	19016.62	4014.98	36600.00	34344.84	23300.00	563.78
7	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान –(9254)	110794.77	67792.24	63000.00	49346.64	63360.00	1501.69
8	वित्तीय शिक्षण –(2106)	500.00	0.00	0.1	0.00	0.01	0.00
9	नवाचार अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन हेतु सहायता– (2107)	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
10	बीज संघ को रिवाल्विंग फण्ड हेतु अनुदान –(2111)	0.01	0.00	50.00	50.00	0.01	0.00
11	भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान (6678)	271.70	260.62	10.00	0.00	0.01	0.00
12	बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान –(6682)	400.00	360.00	400.00	360.00	650.00	351.00
13	बीज संघ को गोदाम एवं ग्रेडिंग प्लांट हेतु अनुदान–(6683)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
14	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना– (6965)	5976.60	5976.30	6500.00	5473.14	6500.00	1748.87
15	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों/म.प्र. राज्य सहकारी बैंक को अंशपूंजी सहायता–(2112)	3100.01	3059.16	0.01	0.00	0.01	0.00
16	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी (5318)	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00
17	नवीन सहकारी समितियों को स्थापना –(6684)	726.64	150.00	500.00	119.00	500.00	0.00
18	प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृणीकरण– (6676)	180.00	180.00	5.01	0.00	5.01	0.00
19	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक – (7827)	65464.34	65464.34	1000.00	0.00	1000.00	0.00
20	म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निगमित ऋण पत्रों का कय– (3242)	11805.17	11805.17	11221.00	11219.29	10643.00	10642.12

21	भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्जे –(6680)	261.70	260.62	0.01	0.00	0.02	0.00
22	प्याज कय से विपणन संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति – (7261)	6652.38	6652.38	58000.00	58000.00	0.00	0.00
23	मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना – (2341)	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00
24	सहकारी शक्कर कारखानों की स्थापना एवं सहायता – (2113)	453.37	453.36	0.00	0.00	0.01	0.00
	योग	**249746.25**	**185921.75**	**206651.10**	**179089.56**	**242582.34**	**151052.39**

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :–

वर्तमान में सहकारिता विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें :–

वर्तमान में सहकारिता विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें /परियोजनायें :–

वर्तमान में सहकारिता विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

भाग – चार
सामान्य प्रशासनिक विषय

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत नवीन सहकारी संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करने तथा निर्धारित समयसीमा 45 दिवस में पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवा कमांक 35.3 में सम्मिलित किया गया है ।

प्रदेश के सहकारी सोसाईटियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल 05 वर्ष नियत है, कार्यकाल समाप्ति के पूर्व निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु मध्प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का गठन कर निर्वाचन हेतु स्वतंत्र निकाय का गठन सहकारी अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत किया गया है । मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संस्थाओं के निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्वाचन की प्रकिया संपन्न कराई जाती है ।

सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा का वैद्यानिक अंकेक्षण संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म से कराने हेतु संस्थाओं को स्वतंत्रता प्रदान की गई है ।

सहकारी संस्थाओं के कार्य व्यवसाय एवं कियाकलापों पर नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 59 में किसी सदस्य अथवा लेनदार के आवेदन पर वैद्यानिक जांच कराने के प्रावधान हैं तथा समय समय पर कियाकलापों के निरीक्षण हेतु धारा 60 में प्रावधान भी हैं।

भाग – पांच

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभिनव पहल

1. **शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण वितरण**

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में फसल ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये 16000.00 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 31.03.2019 तक राशि रू. 12589.19 करोड़ का अल्पकालीन फसल ऋण वितरण किया गया है, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 18000 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण वितरण के प्रस्तावित लक्ष्य में से खरीफ 2019 के लिये राशि रूपये 13000.00 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 10.05.2019 तक राशि रूपये 178.19 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण वितरण किये गये है।

2. **प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण के मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदानः**–प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावित कृषकों के चालू अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन किया जाता है। राज्य शासन द्वारा परिवर्तित ऋण की देय किस्तों पर कृषकों को ब्याज अनुदान का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018–19 में दिनांक 31.03.2019 तक राशि रू.5.64 करोड का निर्गमन राज्य शासन द्वारा किया गया है। एवं वर्ष 2018–19 में माह मई 2019 तक राशि रू.11.00 करोड़ का निर्गमन किया गया है।

3. **मुख्यमंत्री कृषक ऋण समाधान योजनाः**– प्राथमिक कृषिक साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के (अल्पावधि फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण) बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे हेतु मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना में कृषकों के भाग लेने हेतु 30 नवंबर 2018 नियत थी। योजना अंतर्गत कृषकों को बकाया मूलधन का 50 प्रतिशत संस्था में नियत तिथि तक जमा करने की अनिवार्यता थी, योजना में भाग लेने वाले कृषकों के उपर बकाया कालातीत ब्याज का भार 80:20 के अनुपात में क्रमशः राज्य शासन एवं सम्बंधित पैक्स द्वारा वहन किया जावेगा। योजना अंतर्गत 5.18 लाख कृषकों द्वारा राशि रू.1703.55 करोड मूलधन राशि जमा की गई जिसपर राशि रू.1021.77 करोड की ब्याज माफी का लाभ कृषकों को दिया गया है। उक्त ब्याज की राशि में से राशि रू.817.42 करोड का वहन राज्य शासन द्वारा एवं राशि रू.204.35 करोड़ का वहन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया गया है। राज्य शासन द्वारा उक्त वहन की जाने वाली राशि रू.817.42 करोड़ में से वर्ष 2018–19 में मार्च 2019 तक राशि रू.350 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में माह मई 2019 तक राशि रू.68 करोड़ कुल राशि रू.418 करोड राज्य शासन द्वारा निर्गमित की जा चुकी है।

4. **प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु जय किसान फसल ऋण माफी योजनाः**– राज्य शासन द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2019 से प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु जय किसान फसल ऋण माफी योजना लागू की गई थी योजना अंतर्गत किसानों को अधिकतम राशि रू.2.00 लाख तक के अल्पावधि एवं मध्यकालीन परिवर्तन ऋणों की ऋण माफी की जाना है।

सहकारी बैंकों से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम राशि रू.2.00 लाख तक की सीमा तक पात्रता अनुसार निम्नानुसार लाभ दिया जावेगा–

अ. दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि (Regular outstanding loan) के रूप में दर्ज है। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में Regular outstanding loan था। तथा दिनांक 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णता अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।

ब. दिनांक 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिये कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिये एनपीए घोषित किया गया है। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में Non performing asset अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णता अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।

योजना अनुसार जिला बैंकों द्वारा 32.15 लाख किसानों की 31 मार्च 2018 पर बकाया राशि रू.17616 करोड़ का डाटा एमपी ऑनलाईन को प्रेषित किया गया था। उक्त डाटा में से 30.14 किसानो के डाटा पंचायत स्तर पर पंच किये गये। राज्य शासन द्वारा उक्त पंच किये गये डाटा के आधार पर निम्नानुसार राशियों की स्वीकृति 31 मार्च 2019 तक की गई–

क्र	खातों का प्रकार	संख्या		राशि	
1	पी.ए (अकालातीत)	8.26	लाख	1832.74	करोड़
2	एन.पी.ए (कालातीत)	9.38	लाख	2267.72	करोड़
	योग	17.64	लाख	4100.46	करोड़

उपरोक्त स्वीकृत राशि रू.4100.46 करोड़ में से वर्ष 2018–19 में राशि रू.1700 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में माह मई 2019 तक उक्त स्वीकृत प्रकरणों में से राशि रू.400 करोड़ का निर्गमन राज्य शासन द्वारा किया गया अर्थात् कुल राशि रू.2100.00 करोड़ राज्य शासन द्वारा निर्गमित की गई।

उक्त के अतिरिक्त प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों एवं जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु तथा किसानों को आगे ऋण वितरण एवं अन्य गतिविधियों का लाभ देने के उद्देश्य से शासकीय अंशपूंजी सहायता के रूप में वर्ष 2018–19 से 2019–20 तक राशि रू.3000.00 करोड़ की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। जिसमें से राशि रू.1000 करोड़ का निर्गमन 31 मार्च 2019 तक राज्य शासन द्वारा किया जा चुका है।

5. ऑनलाईन फाईल ट्रेकिंग सिस्टम

विभाग द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियों की ऑनलाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था दिनांक 16.09.2016 से प्रारंभ की गई है । ऑनलाईन फाईल ट्रेकिंग सिस्टम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया । इस व्यवस्था से किसी भी समय, किसी भी स्तर पर नस्ती के प्रचलित होने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । इससे प्रत्येक कर्मचारी के पास उपलब्ध नस्तियों का

ऑनलाईन रिकार्ड रहता है एवं किसी भी स्तर पर नस्ती के निराकरण में विलम्ब होने पर ऑनलाईन ट्रेकिंग संभव है।

6. सहकारिता में नवाचार को एक अभियान के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवाचार अन्तर्गत प्रदेश में अनेक नवीन क्षेत्रों में यथा **पर्यटन, ई–रिक्शा, परिवहन, सेवाप्रदाता, जैविक कृषि, रहवासी, सामाजिक वानिकी एवं उद्यानिकी, श्रम ठेका, कड़कनाथ मुर्गीपालन, भंडारण, कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी, गणवेश, सुरक्षा, महिला गृह उद्योग,** कार्य आरंभ किया जाकर 430 समितियों का पंजीयन किया गया है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय 3 फेडरेशन–**म.प्र.राज्य सहकारी पर्यटन संघ, म.प्र.राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ, म.प्र.जनऔषधि उत्पादन एवं विपणन संघ** का पंजीयन भी किया गया है।

आजीविका मिशन अन्तर्गत संचालित स्वसहायता समूहों की **प्राथमिक बहुप्रयोजन सहकारी समितियाँ–8560, बहुप्रयोजन सहकारी संकुल संघ–252** एवं **महिला बहुप्रयोजन औद्योगिक सहकारी संघ–07** पंजीकृत किये गये है।

7. सी.एम. हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों एवं निराकरण की स्थिति (दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31.03.2019 तक) :–

- सी.एम.हेल्पलाइन के अंतर्गत प्रदेश में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक सहकारिता, किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल बीमा सहकारिता की कुल 94082 शिकायतें दर्ज हुई है, गत वर्ष की 4031 शिकायतें शेष थी। कुल 98113 शिकायतों में से 84347 शिकायतों का निराकरण कराया गया। कुल प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध निराकरण का प्रतिशत 85.97 रहा है।
- प्रदेश में वेटेज के आधार पर विभागवार ग्रेडिंग में सहकारिता विभाग माह अप्रैल 2018 में तृतीय स्थान पर, मई 2018 द्वितीय स्थान पर रहा है।

<u>08. सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग</u>

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा उसकी 24 शाखाओं, 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा उनकी 829 शाखाओं को नाबार्ड की योजनान्तर्गत टीसीएस के तकनीकी सहयोग से कोर बैंकिंग से संबंद्ध किया जा चुका है। इन बैंकों के मुख्यालयीन उपयोग हेतु विभिन्न माड्यूल्य भी लागू किया गया है। कोर बैंकिंग के पश्चात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया के सहयोग से प्रदेश की शीर्ष बैंक सहित सभी जिला बैंको की शाखाओं में आर.टी.जी.एस. /एन.ई.एफ.टी. सेवायें प्रारंभ की गई है। ग्राहकों के खातों में होने वाले संव्यवहारों की सूचना ग्राहकों को तत्समय देने के उद्देश्य से एस.एम.एस एलर्ट सुविधा भी प्रदान की जा रही है। सहकारी बैंको द्वारा डीबीटी के तहत रसोई गैस , आधार कार्ड से अपने ग्राहकों को सब्सिडी खाते में देने की सुविधा भी दी जा रही है। बैंको के ग्राहकों के लिये एटीएम सह डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार सहकारी बैंको द्वारा अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान समस्त आधुनिक बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है।

09. ई–गवर्नेंस क्षेत्र में सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग द्वारा एन.आई.सी., भोपाल की मदद से तैयार किये गए "ई–कोआपरेटिव्स" वेब एप्लीकेशन पर वर्ष 2018–19 में जय किसान ऋण माफी योजना–शिकायत एवं निराकरण, आर.टी.आई. अंतर्गत आर.टी.आई. ट्रेकिंग एण्ड मानिटरिग, माननीय मंत्रीजी के पत्रों की मॉनिटरिंग एवं वर्ष 2018–19 के जिले स्तरों की समस्त सहकारी संस्थाओं का सिस्टम आधारित अंकेक्षण आवंटन, ऑन–लाईन सी.ए. का इमपेनलमेंट किया गया है तथा साथ ही जी.टू.सी. एवं जी.टू.जी. सेवाओं अंतर्गत विभाग के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया गया है। इस पोर्टल के क्रियान्वयन से विभाग के अनेक कार्यों का निष्पादन अपेक्षाकृत गति से हुआ है,

भाग – छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के नियमन हेतु जारी विभिन्न परिपत्रों का संकलन कर मैन्यूअल का समय–समय पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ का प्रकाशन निरंतर किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी समाचार पत्र का पाक्षिक रूप से निरंतर प्रकाशन किया जाता है। जिसमें शासकीय योजनाओं तथा सहकारिता की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। संघ द्वारा सहकारी अधिनियम/नियम/संस्थाओं की उपविधियों एवं सहकारी गतिविधियों से संबंधित विशेषांकों का भी समय–समय पर प्रकाशन किया जाता है।

भाग – सात

सारांश

सहकारिता विभाग प्रमुख रूप से एक नियामक विभाग के रूप में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गो के आर्थिक कल्याण के कार्य में संलग्न है । विभाग विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियें का पंजीयन करता है । पंजीकृत सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों का नियमन करता है । विभिन्न शासकीय योजनाओं का संचालन भी विभाग सहकारी समितियों के माध्यम से ही करता है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संचालन में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है । सहकारी समितियां न केवल कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण, विभिन्न कृषि आदान, रासायनिक उर्वरक,बीज आदि उपलब्ध कराती है बल्कि यह समितियां खाद्यान्नों के उपार्जन के कार्य में भी संलग्न हैं । प्रदेश में सावर्जनिक वितरण प्रणाली के संचालन में भी सहकारी समितियों की भागीदारी उल्लेखनीय है । सहकारी समितियां प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, वनोपज के संग्रहण आदि अन्य आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं । संक्षिप्ततः प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संचालन में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और विभाग इन सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के जन समुदाय के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका का निर्वहन करता है ।

.....